वर्ष 4, संख्या 68

राष्ट्र महिला

जून 2005 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

जोधपुर के एक द्रुतगामी न्यायालय ने बलात्कार के एक मामले में मुकदमा प्रारम्भ होने के 15 दिन के अंदर न्याय-निर्णय देकर कानूनी इतिहास रचा है। यह मामला एक ऑटो रिक्शा तथा उसके साथी द्वारा एक जर्मन पर्यटक महिला का बलात्कार किए जाने का है। न्यायालय ने दोनों व्यक्तियों को दोषी पाया और उन्हें आजीवन कारावास का दण्ड सुनाया। भारत में न्यायालयों में चल रहे मामलों के निपटान में होने वाले असाधारण विलम्ब को देखते हुए, यह वास्तव में एक बड़ी उपलब्धि है।

नि:संदेह, बलात्कार सबसे निष्ठुर और घृणित अपराधों में एक ऐसा अपराध है जो महिला के शरीर और आत्मा दोनों को आघात पहुंचाता है और साथ ही उसके ऊपर एक सामाजिक कलंक छोड़ जाता है। सबसे बुरी बात यह है कि जो महिलाएं साहस जुटा कर अपराध की शिकायत दर्ज कराती हैं, उन्हें न्याय के लिए अत्यधिक लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब-जब उसे न्यायालय में जाना पड़ता है, तब-तब उस पीड़ित को उस पर हुए अत्याचार को फिर से जीना पड़ता है। ऐसी दशा में, न्याय-निर्णय की प्रक्रिया को तेजी से पूरा करने वाले सभी अभिकरण प्रशंसा के पात्र हैं उच्च न्यायालय की जोधपुर खंडपीठ जिसने कि मामले का स्वत: संज्ञान लिया और त्वरित न्याय के लिए निदेश जारी किए, पुलिस जिसने दो दिन के अंदर आरोप-पत्र दाखिल किया, डी.एन.ए. प्रयोगशाला जिसने असाधारण तीव्रता के साथ अपनी रिपोर्ट दी, मुकदमा न्यायालय जिसने अपने समक्ष पेश अंतिम गवाह को सुनने के एक दिन बाद अपना निर्णय दिया।

चर्चा में — **द्रुतगामी न्यायालय**

राजस्थान उच्च न्यायालय ने ये दिशानिर्देश भी जारी कर दिए हैं कि सभी यौन अपराधों की त्वरित और वैज्ञानिक जांच-पड़ताल करने तथा अपराध होने के एक सप्ताह के अंदर जांच पूरी किए जाने के प्रयोजन से एक विशेष कक्ष बनाया जाये।

उच्च न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत, ऐसे सभी मामलों में सब एस.एस.पी. (वरिष्ठ पुलिस सुपरिन्टेंडेंट) एक रिपोर्ट तैयार करेंगे और हर तिमाही अपनी रिपोर्टें इस कक्ष को भेजेंगे। विशेष कक्ष का निर्दिष्ट अधिकारी इस बारे में अपनी रिपोर्ट उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार को भेजेगा और वह इन रिपोर्टों को द्रुतगामी न्यायालयों को भेजेगा।

जोधपुर द्रुत न्यायालय द्वारा एक मिसाल कायम कर दिए जाने के बाद, अब आशा है कि अन्य राज्य भी इसे अपनायेंगे। जैसा कि न्यायाधीश ने अपने निर्णय में कहा, ऐसे मामलों में सजा इस प्रकार की होनी चाहिए जिससे कि अपराध-प्रवृत्त लोगों के मन में कानून के प्रति भय पैदा हो। दण्ड की कठोरता ही नहीं, अपितु त्वरित न्याय भी कानून के उल्लंघन को रोकेगी।

साहसी महिलाएं

आंध्र प्रदेश के एक दूरस्थ गांव धर्मारन के एक स्वयं-सहायी महिला ग्रुप ने अपने गांव में व्यापक रूप से चल रही अरक पीने की लत के विरुद्ध मोर्चा संभाल लिया है जिसके परिणामस्वरूप कितने ही परिवार नष्ट हो रहे थे।

हाल ही में इन महिलाओं ने अरक के पैकिटों की एक भारी मात्रा नष्ट कर दी और एक ग्रामीण जो अपनी साइकिल पर अरक के पैकिट चोरी-छिपे गांव में ले जाने का प्रयत्न कर रहा था उनमें ग्राम पंचायत के कार्यालय के सामने आग लगा दी।

स्थानीय स्वयं-सहायी ग्रुपों की महिलाओं द्वारा चलायी गयी इस दिलेर मुहिम से प्रेरित होकर गांव के युवा भी उनके अरक विरोधी अभियान में शामिल हो गये।

ग्राम पंचायत ने भी एक सर्वसम्मत प्रस्ताव स्वीकार किया कि जो व्यक्ति भी इस स्व-स्थापित प्रतिबंध का उल्लंघन कर गांव में अरक बेचेगा या अरक की दुकान खोलेगा उस पर 5000 रुपये का जुर्माना किया जायेगा। महिलाओं ने अरक के व्यापारियों से भी लिखित में आश्वासन ले लिया है कि वे गांव में अरक नहीं बेचेंगे।

महिलाओं के लिए हेल्पलाइन

दिल्ली विश्वविद्यालय में छात्राओं को परेशान किए जाने की संभावना पर चिंतित, विश्वविद्यालय की छात्र यूनियन ने डी.सी.पी. नॉर्थ के साथ एक बैठक की। पुलिस ने शिकायतों के लिए हेल्पलाइन नम्बर जारी किए हैं। ये नम्बर हैं : 9899090920, 9212005012, 9811746913, 9810030663

राष्ट्रीय महिला आयोग के चार नये सदस्य

सुश्री यास्मीन अब्रार, राजस्थान के एक विख्यात स्वतंत्रता सेनानी की पुत्री हैं। वह एक प्रतिभाशाली विद्यार्थी रही हैं और एक राजनीतिक परिवार में परवरिश पाई है। वर्ष 1998 से 2003 तक वह राजस्थान विधान सभा की सदस्य रहीं और राष्ट्रीय महिला कोष की सलाहकार भी रही हैं। गत 15 वर्ष से वह राजस्थान प्रांतीय कांग्रेस समिति की सदस्य रही हैं। उन्होंने देश-विदेश की विस्तृत यात्राएं की हैं और गत दो दशकों से राजस्थान महिला तथा बाल विकास समिति की सदस्य के रूप में उनका अमूल्य अनुभव, राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य के रूप में कार्य करने में प्रभावी सिद्ध होगा। हम सुश्री अब्रार का आयोग में स्वागत करते हैं।

सुश्री सुशीला तिरिया, राज्य सभा तथा लोक सभा की पूर्व संसद सदस्य हैं जिन्होंने अपना जीवन दरिद्र और अभावग्रस्त लोगों के प्रति समर्पित कर दिया है। इस समय वह उड़ीसा की आदिवासी विकास परिषद की सदस्य हैं और महलाओं में शिक्षा के प्रसार तथा उनके स्वास्थ्य सुधार के कार्य में रत हैं। राजनीतिक मंच पर अत्यंत सक्रिय रही सुश्री तिरिया विभिन्न संसदीय समितियों की सदस्य रही हैं। देश में और विदेशों में उन्होंने विस्तृत भ्रमण किया है। समाज के जनजातीय तथा हाशिये पर रह रहे वर्गों के बीच उनका कार्य करने का अनुभव, राष्ट्रीय महिला आयोग में उनके कार्यकरण में उपयोगी होगा। हम आयोग में उनका स्वागत करते हैं।

सुश्री मालिनी भट्टाचार्य, जादवपुर विश्वविद्यालय की अवकाश-प्राप्त अंग्रेजी की प्रोफेसर तथा जादवपुर विश्वविद्यालय के महिला अध्ययन केन्द्र की अवकाश-प्राप्त डायरेक्टर हैं। वर्ष 1989 से 1996 तक वह लोक सभा की सदस्य थीं तथा लोक सभा के सभापतियों के पैनल की सदस्य भी थीं। वह जन्म-पूर्व निदान परीक्षण विधेयक की प्रवर समिति तथा संविधान के 73वें संशोधन विधेयक की प्रवर समिति की सदस्य रहीं। पश्चिम बंगाल महिला आयोग की सदस्य रही सुश्री भट्टाचार्य इस समय बंगाल राज्य योजना बोर्ड की तथा जन्म-पूर्व निदान परीक्षण अधिनियम की राज्य परामर्श समिति की सदस्य हैं और पश्चिम बंगाल लोक एवं जनजाति संस्कृति केन्द्र की उपाध्यक्ष हैं। हम सुश्री भट्टाचार्य का आयोग में स्वागत करते हैं।

सुश्री नीवा कंवर, एक पूर्व लक्चरर हैं और उन्होंने निराश्रित बच्चों तथा कुष्ठ रोगियों की असम सेवा समिति में और असम की महिला इमदाद समिति में कार्यकारी सदस्य के रूप में काम किया है। भारतीय समाज कल्याण परिषद की पूर्व उप-प्रधान रही सुश्री कंवर इलाहाबाद बैंक की डायरेक्टर तथा अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की महामंत्री भी हैं। सोवियत रूस, सिंगापुर, बीजिंग आदि में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भाग लिया है। उन्होंने न्यूजीलैण्ड तथा आस्ट्रेलिया का अध्ययन दौरा किया। अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य का एवं एक प्रशासक तथा सक्रिय समाज कार्यकर्ता का उनका अनुभव राष्ट्रीय महिला आयोग के लिए एक वरदान होगा। हम सुश्री कंवर का आयोग में स्वागत करते हैं।

पुलिस आत्म-रक्षा प्रशिक्षण सत्र

दिल्ली पुलिस की महिलाओं के प्रति अपराध शाखा द्वारा कॉलेज की छात्राओं से लेकर कामकाजी महिलाओं तक के लिए आयोजित आत्म-रक्षा तकनीक कार्यक्रम का 10-दिवसीय कार्यक्रम अत्यंत सफल रहा।

इन सत्रों के दौरान, जो शहर के चौतरफा प्रशिक्षण केन्द्रों में आयोजित किए गये, महिलाओं को सिखाया गया कि पेन, पेंसिल, डायरी, हैंडबैग और दुपट्टा जैसी चीजों का प्रयोग किस प्रकार आत्म-रक्षा के शस्त्रों के रूप में किया जा सकता है। प्रशिक्षार्थियों ने कानूनी विशेषज्ञों, मनोवैज्ञानिकों तथा गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

प्रशिक्षण का उद्देश्य भागीदारों को शारीरिक रूप से दुरुस्त, मानसिक रूप से चुस्त और अधिक आत्म-विश्वासी बनाना था।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों के सम्पर्क टेलीफोन नंम्बर

1. **डा. गिरिजा व्यास**
   अध्यक्षा
   फोन : 23236204, 23230785, 23236270
2. **सुश्री यास्मीन अब्रार**
   सदस्य
   फोन : 23237240
3. **सुश्री सुशीला तिरिया**
   सदस्य
   फोन : 23236202
4. **सुश्री नीवा कंवर**
   सदस्य
   फोन : 23236153
5. **सुश्री मालिनी भट्टाचार्य**
   सदस्य
   फोन : 23236203
6. **श्री एन.पी. गुप्ता**
   सदस्य सचिव
   फोन : 23236271

दिल्ली की 90 प्रतिशत महिलाओं और बच्चों में रक्त की कमी

भारतीय चिकित्सा संघ का कहना है कि पूर्वी दिल्ली में 10 में से 9 किशोरवय लड़कियां, बच्चे तथा गर्भवती महिलाएं रक्त की कमी का शिकार हैं और उनकी संख्या बढ़ रही है।

ये आंकड़े पूर्व दिल्ली में चल रहे एक सर्वेक्षण पर आधारित हैं जिसमें 25000 लोगों ने प्रश्नावली का उत्तर दिया जिनमें दिल्ली नगर निगम के विद्यार्थी और लगभग 35 मलिन बस्तियों के निवासी शामिल हैं। अध्ययन से पता चला कि विश्व में सबसे अधिक लौह-अल्पता जनित पाण्डु रोग (रक्त की कमी) भारत में है और 90 प्रतिशत किशोरवय की लड़कियां तथा 85 प्रतिशत प्रौढ़ महिलाएं इसकी शिकार हैं।

रक्ताल्पता एक मूक रोग है जिसें शक्ति-ह्रास होता जाता है और जो कम उत्पादकता एवं पढ़ाई क्षमता में न्यूनता आने के प्रमुख कारणों में से एक है जिसके फलस्वरूप बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं। देश में लगभग 20 प्रतिशत मातृत्व मृत्युएं रक्ताल्पता के कारण होती हैं।

आंकड़े दर्शाते हैं कि अधिकतर बलात्कारी 25 वर्ष से कम आयु के हैं

अप्रैल, 2005 तक पकड़े गये बलात्कारियों के बारे में दिल्ली पुलिस द्वारा किए गये अध्ययन के आंकड़ों के आधार पर पता चलता है कि कुल बलात्कारों में से 80 प्रतिशत की आयु 25 वर्ष से कम थी। इनमें से 62 प्रतिशत 18-25 आयु-वर्ग के थे।

21 प्रतिशत मामलों में, बलात्कारी की आयु 25 और 35 वर्ष के बीच थी। अप्रैल के अंत तक, दिल्ली में बलात्कार के 174 मामलों की सूचना मिली।

पुलिस के आंकड़ों के अनुसार, बलात्कारी 95 प्रतिशत से अधिक मामलों में पीड़ित को जानते हैं और यही एक प्रमुख कारण बलात्कारों को न रोक सक पाने का है।

हरियाणा में महिलाओं को प्रोत्साहन

हरियाणा सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में कई प्रोत्साहनों की घोषणा की है। पहले वहां की सरकार ने महिलाओं के नाम पर रजिस्टर की गयी संपत्ति में 2 प्रतिशत फीस की कमी की जाने की घोषणा की थी और अब बिजली के उन घरेलू बिलों पर जो महिलाओं के नाम में हैं 10 पैसे प्रति यूनिट छूट दी जायेगी। एक महिला सहकारी बैंक स्थापित किया जायेगा जिसकी एक विशेषता यह होगी कि उसे स्वयं महिलाओं द्वारा चलाया जायेगा।

सदस्यों के दौरे

- सदस्य यास्मीन अब्रार सवाई माधोपुर गयीं और जिलाधीश के साथ महिला संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। बाद में वह महिला सरपंचों से मिलीं और महिला तथा बाल विकास विभाग के अधिकारियों के साथ बातचीत की। सुश्री अब्रार नेशनल पार्क देखने भी गयीं और महिला कामगारों की समस्याएं सुनी। सदस्य ने जिला सब-जेल का मुआयना किया और पाया कि यह अंधेरा और गंदा था और बन्दियों के साथ होने वाले व्यवहार पर असंतोष व्यक्त किया। बाद में, उन्होंने नारी निकेतन का मुआयना किया। वह नीम चौकी महल्ला भी गयीं जहां महिला कामगारों ने बतलाया कि बीड़ी नियोक्ताओं के द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। सवाई माधोपुर के गैर-सरकारी संगठनों के साथ भी उन्होंने बैठक की। संगठनों ने शिकायत की कि स्थानीय शासन उनके साथ सहयोग नहीं करता।
- सदस्या नीवा कंवर असम गयीं और राज्य महिला आयोग की अध्यक्षा तथा सदस्यों के साथ चर्चा की। बाद में, उन्होंने गैर-सरकारी संगठनों से बातचीत की और महिला बुनकरों की जन-सुनवाई में भाग लिया। इसके बाद वह शिलांग गयीं और मेघालय के मुख्यमंत्री से मिलीं। उन्होंने 'पारिवारिक बंधनों/विवाह के पंजीकरण की समस्याएं' विषय पर एक सेमिनार में भी भाग लिया जिसमें खासी महलाओं के सम्मुख आने वाली समस्याओं पर चर्चा की गयी थी। वापसी में, वह जलुकबाड़ी में एक महिला

सदस्य नीवा कंवर असम के कामरूप जिला के सुआलकुची गांव में महिला बुनकरों की जन सुनवाई में

श्रोतागणों का समूह

आश्रय गृह देखने गयीं। उन्होंने पाया कि वह गृह टूटी-फूटी हालत में है और वहां रह रही महिलाओं को मंत्रणा दिए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। उन्होंने सिफारिश की कि मानसिक रूप से कमजोर वहां के एक बच्चे को तेजपुर मानसिक अस्पताल में इलाज के लिए भेज दिया जाये।

- महिलाओं पर अत्याचार की घटना का स्वत: संज्ञान लेते हुए, सदस्य मालिनी भट्टाचार्य हावड़ा में एक मामले की जांच करने गयीं जिसमें पास के ग्राम कुंडलिया की चार महिलाओं को गांव के कुछ लोगों ने मूंगफली चुराने के आरोप में पकड़ लिया और उन्हें बुरी तरफ पीटा जिसके फलस्वरूप उनमें से दो की बाद में मृत्यु हो गयी और दो गंभीर रूप से घायल हो गयीं। बाद में वह ब्लाक पंचायत के कार्यालय गयीं और स्थानीय स्वशासन के चेयरमेन तथा जैपुर थाना के प्रभारी से बात की। तत्पश्चात् वह घटना स्थल पर गयीं। घटना के विरोधाभासी समाचार मिलने पर, सुश्री भट्टाचार्य ने अधिकारियों से एफ.आई.आर. में दर्ज सभी लोगों को गिरफ्तार करने को कहा। उन्होंने स्थानीय अधिकारियों को क्षेत्र में चल रहे तनाव को दूर करने तथा पीड़ितों को सहायता पहुंचाने को भी कहा।

इसके अतिरिक्त, बच्चों को स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जायेंगे और नियमित अवधि के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया जायेगा।

साथ ही, अध्यापकों के 30 प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिए गये हैं। लड़कियों को मिलने वाला वर्दी भत्ता रुपए 100 से बढ़ा कर रुपये 200 कर दिया गया है। समाज के कमजोर वर्गों की छठी, सातवीं और आठवीं कक्षाओं में पढ़ने वाली उन लड़कियों को जिनके गांवों में मिडिल स्कूल नहीं हैं, मुफ्त साइकिलें दी जायेंगी।

बांदा की घटना

उत्तर प्रदेश में बांदा जिला के बहुंदरी गांव में 'सती' की एक कथित घटना की जांच करने के लिए, राष्ट्रीय महिला आयोग ने सदस्य यास्मीन अब्रार तथा उप सचिव गुरप्रीत देव के एक दल को भेजा

समाचारों के अनुसार, 7 मई को 75 वर्षीय रामकुमारी का अधजला शव उसके पति की चिता पर पाया गया। किन्तु पुलिस ने तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जब तक गांव वालों ने वहां प्रार्थना करने के लिए बड़ी संख्या में आना प्रारम्भ कर दिया।

दल ने पाया कि पुलिस की छानबीन और गांव वालों के कथनों में भारी असंगतताएं हैं। दल का यह भी कहना था कि इस घटना को 'सती' करार नहीं दिया जा सकता चूंकि साक्ष्य से यह बात प्रमाणित नहीं होती। दल ने इसलिए सिफारिश की कि मामले को राज्य अपराध शाखा को सौंप दिया जाये और राज्य सरकार को जांच-पड़ताल के लिए दो मास का समय दिया।

महिलाओं को बचाव के सुझाव

- आत्म-रक्षा के लिए कोई शस्त्र अपने पास रखिए - यह परकार (कम्पास), चाकू या मिर्च स्प्रेयर हो सकता है।
- हमलावरों को दूर रखने के लिए महिलाओं द्वारा रोजमर्रा प्रयुक्त की जाने वाली वस्तुएं भी सुलभ हो सकती हैं जैसे हेयरपिन, दुपट्टा आदि।
- रात्रि के समय अकेले बाहर न निकलें, ग्रुप में जायें। अकेली लड़कियां आसान लक्ष्य बन जाती हैं।
- किक-बाक्सिंग अथवा किसी भी युद्ध कला की कक्षा में नाम दर्ज कराइए। यह प्रशिक्षण न केवल हमलावर का मुकाबला करने में सहायक है, अपितु आत्म-विश्वास भी बढ़ाता है।
- अच्छा खाइए-पीजिए और स्वस्थ्य रहिए।
- सदा सतर्क रहिए।
- अंधेरे के बाद अलग-थलग और अंधेरे स्थानों पर मत जाइए।
- यदि रात को गाड़ी चला रही हैं तो खिड़कियां बन्द रखिए। किसी को लिफ्ट मत दीजिए या रास्ते में मत रुकिए, आप जो रास्ता लेती हैं उसे बदल दीजिए, चलने से पूर्व किसी को बता दीजिए ताकि वह आपकी यात्रा के समय का अनुमान रख सके और आवश्यकता होने पर संकट सूचना दे सकें।

साभार : टाइम्स ऑफ इंडिया

महत्वपूर्ण निर्णय

बलात्कार के मामलों में डी.एन.ए. परीक्षण अनिवार्य

- राज्य सभा में पारित एक विधेयक द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता का संशोधन करके, बलात्कार के मामलों में डी.एन.ए. परीक्षण को अनिवार्य बना दिया गया है। साथ ही, पुलिस हिरासत में हुए बलात्कार के मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच की व्यवस्था की गयी है।

  पुलिस द्वारा महिलाओं को तंग किए जाने से रोकने के लिए, विधेयक में यह भी प्रावधान किया गया है कि सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पूर्व, "असाधारण परिस्थितियों" को छोड़कर, किसी महिला को गिरफ्तार नहीं किया जायेगा।

उच्च न्यायालय समान वेतन के पक्ष में

- एक न्यायनिर्णय में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि यदि महिला तथा पुरुष का काम एक ही प्रकृति का है तो महिलाओं को भी पुरुष के बराबर वेतन दिया जाना चाहिए तथा वेतनमानों में कोई अंतर नहीं होना चाहिए। ऐसे मामलों में पद-नाम को वेतन का आधार नहीं बनाया जाना चाहिए।

महिला आरक्षण अधिनियम

- असम सरकार ने विधान सभा के चालू सत्र में 'महिला आरक्षण विधेयक' पारित करके महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। इस अधिनियम के अनुसार, केन्द्रीय तथा न्यायिक (ग्रेड 'ए') सेवाओं को छोड़कर, आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को रिक्तियों में 30 प्रतिशत आरक्षण दिया जायेगा।

महाराष्ट्र ने लड़कियों की छात्रवृत्ति बढ़ायी

- अनुसूचित जातियों/जनजातियों की छात्राओं में स्कूल बीच में छोड़ने की ऊंची दर के कारणों का संज्ञान लेते हुए, महाराष्ट्र सरकार ने छात्राओं की छात्रवृत्ति को रुपये 300 से बढ़ा कर रुपये 600 करने का निर्णय लिया है।

सामूहिक बलात्कार के आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती

- दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि जो अपराध फांसी, आजीवन कारावास अथवा न्यूनतम 10 वर्ष के कारावास से दण्डनीय है, उसके संबंध में हो रही जांच-पड़ताल पूरी हो जाने तक, न्यायिक हिरासत के 90 दिनों तक आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती।

अधिक जानकारी के लिए देखें हमारी वेबसाइट : **www.ncw.nic.in**

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4 - दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। आकांक्षा इम्प्रेशन, न्यू रोहतक रोड, सराय रोहिल्ला, नई दिल्ली-110005 में मुद्रित।
सम्पादक : गौरी सैन